



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613

दिनांक:- 30-6-2022

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
एवं उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त।

विषय:- जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनाधार की अनिवार्यता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की पहचान पोर्टल पर ऑनलाईन जारी किये जा रहे जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में परिपत्र क्रमांक 462 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा जनाधार को अनिवार्य किये जाने के पश्चात जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के समक्ष जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु आमजन की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल में विकल्प का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:-

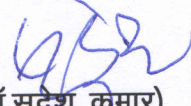
1	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर परिवार का जन-आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	आवेदक से जनाधार हेतु नामांकन करवाया जावे।
2	मृत्यु की घटना का आवेदन करने पर मृतक (पति/पत्नि) का एवं मृतक के माता/पिता का जन-आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
3	राजस्थान के बाहर के निवासियों का जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण के आवेदन के लिए जनाधार की अनिवार्यता।	राजस्थान के बाहर के निवासियों के लिए जनाधार की अनिवार्यता नहीं होने के कारण उन्हें छूट प्रदान करना।
4	विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर वर-वधु दोनों के परिवार का जन आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार का नामांकन करवाया जावे।
5	वर या वधु दोनों में से एक पक्ष का राजस्थान के बाहर का निवासी होने की स्थिति में।	वर अथवा वधु दोनों पक्ष में से जो राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है, उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
6	दत्तक ग्रहण किये गये बच्चों का रजिस्ट्रेशन।	यदि दत्तक ग्रहण राज्य में किया गया है और दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य का निवासी है तो उन्हें जनाधार प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है तो उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
7	अनाथालय में निवास कर रहे व्यक्तियों के जन्म/मृत्यु का रजिस्ट्रेशन में जनाधार की अनिवार्यता।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
8	चिकित्सालय में उपचार हेतु लाये गये मरीज की Brought Dead की स्थिति में।	मृतक के परिजन का जनाधार प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन करना।

9	लावारिस/अज्ञात मृतक की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
10	पूर्व में जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदक से जनाधार लिया जाना जबकि उनके परिवारजन का जनाधार उपलब्ध नहीं होना।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
11	विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन करने पर वर व वधु एवं दोनों पक्ष के परिवारजन (माता/पिता) के अलग-अलग जनाधार प्रस्तुत करना पड़ता है जबकि वर एवं वधु दोनों का नाम एक ही जनाधार में नाम होने की स्थिति में।	वर व वधु का नाम एक ही जनाधार से लिया जावे।
12	आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु अथवा विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन के समय जनाधार प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट मना करना और न ही वह जनाधार बनाना चाहते हैं।	आवेदक से एक अण्डरटैकिंग लेना की उनके द्वारा जनाधार का नामांकन नहीं करवाया गया है और न ही वह जनाधार बनाना चाहते हैं तथा राज्य में सम्पादित की जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक हैं।

जनाधार की अनिवार्यता लागू करने के पश्चात राजकीय चिकित्सालयों/सीएचसी/ पीएचसी में जन्म/मृत्यु के पंजीयन में उत्पन्न कठिनाई के संबंध में उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन के लिये दिनांक 20.07.2022 तक जनाधार की अनिवार्यता से छूट (Exempt) प्रदान की जाती है। अतः उक्त विकल्प अनुसार जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय



(डॉ.सुदेश कुमार)

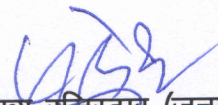
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)
एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613

दिनांक:- 30-6-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार पहचान पोर्टल पर विकल्प का प्रावधान कराने का श्रम करावे।
4. अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज समस्त।
5. चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी समस्त।
6. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।



अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)